COURT FEE
INDIA
भारत
दस रुपये TEN RUPEES

(77)

मानवीय न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2014 Resto 812-II/14

Case No R-182-II

रामकृपाल s/o गरीबा -- आवेदक
आयु-57 नि. घुघरी जि. कटनी (म.प्र.)
बनाम
मध्यप्रदेशशासन आदि -- अनावेदकगण

दिनांक 6-3-14 को श्री आलोक श्रीवास्तव अभि0 द्वारा प्रस्तुत/

6-3-14
ASO

आवेदन-पत्र बावत प्रकरण पुन: नम्बर पर लिये जाने हेतु।

श्रीमान जी,

आवेदक की ओर से आवेदन-पत्र निम्नप्रकार प्रस्तुत है-

1- यह कि आवेदक ने माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण क्रमांक 3348/2013 में पारित आदेश दिनांक 2-9-13 को पुनरावलोकन करने हेतु रिव्यु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया था।

2- यह कि प्रकरण में तारीख पेशी 6-2-14 नियत थी। तथा प्रकरण में प्रारंभिक सुनवाई होना थी। और आवेदक के अभिभाषक माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में प्रकरण नियत होने के कारण वहां पर पैरवी करने पर व्यस्त थे। और जब वे माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर से प्रकरण निपटाकर माननीय न्यायालय के समक्ष पहुँचे तब ज्ञात हुआ कि प्रकरण में चेम्बर में होने के कारण जानकारी नहीं हो पायी जब दूसरे दिन अभिभाषक पहुँचे तब फायल का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि प्रकरण आवेदक तथा उसके अभिभाषक की अनुपस्थिति में निरस्त कर दिया गया।

3- यह कि आवेदक की तथा उसके अभिभाषक की अनुपस्थिति सद्भावना पर आधारित होकर क्षमा किये जाने योग्य है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रेस्टो0 812—दो/14 जिला —कटनी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि. एवं आवेदक के हस्ताक्षर
6-5-16	आवेदक के अधिवक्ता श्री आलोक श्रीवास्तव उपस्थित। शासन की ओर से श्री बी0 एन0 त्यागी उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में बताया गया है कि प्रकरण क्रमांक अपील 3348—एक/13 में दिनांक 2.9.13 को आदेश पारित किया गया है। 2— उक्त प्रकरण को पुनः नम्बर लेने के लिये आदेश पत्रिका दिनांक 15.9.15 को 500/— रूपये का कॉस्ट लगाया गया है जो आवेदक के अधिवक्ता द्वारा एम0पी0टी0सी0 रसीद क्रमांक 89 दिनांक 15.12.15 को रूपये 500/— जमा किये जा चुके है। अतः रेस्टो आवेदन पत्र रेस्टोर्ड किया जाता है। अतः मूल प्रकरण अपील 3348—एक/13 आदेश दिनांक 2.9.13 को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। सदस्य	